न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-537RAAJodhpur2022-266RTA225 Babulal Vs Gorkharam etc

बाबूलाल पुत्र श्री प्रहलादराम, जाति विश्नोई, निवासी-ग्राम जालेली फौजदार, तहसील जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. गोरखाराम पुत्र श्री भोमाराम, जाति भील, निवासी-जालेली फौजदार, तहसील व जिला जोधपुर।
2. सरपंच ग्राम पंचायत, जालेली फौजदार, तहसील व जिला जोधपुर।
3. तहसीलदार जोधपुर।
4. शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा बनाड़, जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 10 अगस्त 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर दक्षिण राजस्व विविध प्रार्थनापत्र संख्या 07/2021 गोरखाराम बनाम बाबूलाल इत्यादि

उपस्थित-

श्री ओ.पी. बूब अधिवक्ता-अपीलाण्ट

श्री गिरधरसिंह भाटी, अधिवक्ता- रेस्पो. संख्या एक

श्री राजीव पटेल, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या चार

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या तीन

नि र्ण य

दिनांक : 19 दिसंबर 2022

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर दक्षिण द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 07/2021 गोरखाराम बनाम बाबूलाल

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 22 सितंबर 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 27 सितंबर 2022 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट-प्रार्थी संख्या एक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए पेश कर अपने खेत खसरा नं. 220 में आवागमन हेतु अप्रार्थी अपीलांट की खातेदारी खेत खसरा नं. 221 में सें रास्ते की मांग की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी/अपीलांट ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना जवाब पेश किया। तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 22 सितंबर 2022 के जरिये प्रार्थी/रेस्पो. का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी तथ्यात्मक एवं विधिक भूल की है। रेस्पोडेंट को अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नं. 220 पर आने-जाने हेतु खसरा नं. 218 एवं 219 की भूमि में रास्ता उपलब्ध है एवं खसरा नं. 219 की भूमि को कृषि भूमि से आबादी भूमि में रूपांतरित करवाने की कार्यवाही की हुई है एवं इस भूमि में जो रास्ता बताया गया है, उक्त रास्ते की भूमि रूपांतरण के समय रास्ते के रूप में राज्य सरकार को समर्पित भी हो चुकी है। इस महत्वपूर्ण तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय ने अनदेखा करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ता उपलब्ध नहीं होने की सूरत में ही रास्ता

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपलब्ध कराया जा सकता है। इस प्रकरण में स्वयं पीठासीन अधिकारी ने दिनांक 05.09.2022 को विवादग्रस्त भूमि के रास्तो को निरक्षण किया एवं रेस्पोडेंट संख्या एक को खसरा नं. 218 एवं 219 में रास्ता उपलब्ध होना बताया है तथा साथ ही भूमि का जो नक्शा बनाया उस नक्शे में भी उपलब्ध रास्ते को दर्शाया था, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी स्वयं की मौका रिपोर्ट को अनदेखा करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। स्वयं रेस्पोडेंट संख्या एक ने रास्ते की भूमि खरीदने के लिए अपीलांट के साथ मौजिज व्यक्तियों की उपस्थिति में सहमति बनाई एवं अपीलांट को रूपये 5,00,000/- अक्षरे पांच लाख मात्र राशि को रास्ते के बदले में अदा करने के लिए अनुबंध किया, जिसकी लिखापढी दिनांक 28.03.2022 को पक्षकारान् के मध्य हुई थी। ऐसी लिखापढी पत्रावली पर पेश की गई थी, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान् के मध्य हुई लिखापढी को दरकिनार करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर दक्षिण द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22 सितंबर 2022 को निरस्त किये जाने आदेश फरमावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु उक्त अपीलाधीन रास्ते के अलावा कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट संख्या एक अनपढ व्यक्ति है, उसके द्वारा किसी लिखापढी पर हस्ताक्षर नहीं किये गये तथा न ही ऐसी कोई लिखापढी पक्षकारान् में हुई। पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं मौका निरीक्षण किया गया, जिसमें अपीलाधीन रास्ता ही निकटतम एवं लघुतम पाया गया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए तथ्यों के गहन विवेचन के आधार पर लघुतम एवं निकटतम रास्ते का विधि सम्मत आदेश पारित किया है अतः प्रस्तुत अपील अपीलाण्ट्स खारिज की जावे।

रेस्पोडेंट संख्या 4 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या चार की तामील नहीं करवायी गई। अतः मामले को रिमाण्ड किया जावे।

राजकीय अधिवक्ता प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मौका फर्द दिनांक 05.09.2022 के अवलोकन से पाया जाता है कि मौका रिपोर्ट पीठासीन अधिकारी की स्वयं की उपस्थिति में तैयार की गई है तथा मौके पर अपीलांट की ओर से उसके पुत्र हेतराम व बंशीलाल तथा रेस्पो. गोरखाराम सहित अन्य मौतबिरान् के हस्ताक्षर है। उक्त मौका रिपोर्ट के मुताबिक ''पूर्व में दिनांक 13.07.2022 को तैयार मौका फर्द का सत्यापन किया गया जो नजरी नक्शे में मार्क ए से बी दर्शाया गया है, जहां से ही प्रार्थी द्वारा नया रास्ता चाहा गया है, जिसकी डामर रोड़ पर कांटे की बाड़ है। उक्त प्रस्तावित रास्ता 15 फीट चौड़ा व 86 फीट लंबा है।'' खसरा नं. 218 एवं 219 में से उपलब्ध रास्ते की लंबाई क्रमशः 132 फीट एवं 500 फीट बताई गई है। रेस्पोडेंट संख्या दो की ओर से दिनांक 06.12.2022 को प्रस्तुत दस्तावेजात के मुताबिक रेस्पोडेंट संख्या एक का आवागमन खसरा नं. 221 में से ही है जो वर्तमान में अपीलांट द्वारा रास्ता बंद कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके पर उपलब्ध रास्ते के दोनो विकल्पो पर विचार कर अपीलाधीन आदेश के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जरिये रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु निकटतम विकल्प का रास्ता प्रदान किया जाना पाया जाता है तथा डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि का भुगतान अपीलांट को किये जाने के आदेश दिया जाना पाया जाता है। जहां तक अपीलांट का उज्र है कि रेस्पोडेंट द्वारा पांच लाख रूपये में रास्ता लिये जाने की लिखापढी की गई है, प्रस्तुत दस्तावेज की सत्यता के बारे मे राय रखा जाना उचित नहीं है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये प्रदत रास्ता रेस्पोडेंट संख्या एक के आवागमन हेतु निकटतम एवं लघुतम रास्ता होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 22 सितंबर 2022 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19-12-2022

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर